फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता/मा0 उच्च न्यायालय, प्रकरण।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,

1, तिलक मार्ग, लखनऊ-226001

डीजी-परिपत्र संख्या-53/2014 दिनांक:लखनऊ:अगस्त 18,2014

सेवा में,

1. समस्त जोनल/रेलवेज पुलिस महानिरीक्षक
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय/रेलवेज पुलिस उपमहानिरीक्षक
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/रेलवेज उ0प्र0।

विषय: उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप(निवारण) अधियिम-1986 के संबंध में।

उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप(निवारण) अधिनियम-1986 के अन्तर्गत कार्यवाही के संबंध में उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या-12/6-पु0-11-2004-58(रिट)/2003 दिनाँक: 02.01.2004 एवं शासनादेश संख्या-यू0ओ0-6(1)/छः-पु0-9-11-गृह(पुलिस)अनुभाग-4 दिनाँक 4.2.2011 एवं पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय द्वारा अ0शा0परिपत्र संख्या-7/2010 दिनाँक: 08.02.2010 व डीजी परिपत्र संख्या-42/2012 दिनाँक: 18.09.2012 निर्गत किये गये है परन्तु उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन न किए जाने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों को मा0 न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है।

मा0 न्यायालय द्वारा अवगत कराया है कि गैग चार्ट यान्त्रिकरूप से तैयार किए जा रहे है तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा इस संबंध में बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए मात्र हस्ताक्षर बना दिया जाता है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक है।

मा0 न्यायालय द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप(निवारण) अधिनियम-1986 के दुरूपयोग पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। मा0 उच्च न्यायालय एवं इस मुख्यालय के संज्ञान में कुछ ऐसे प्रकरण आये है जिसमें इन अधिनियमों का दुरूपयोग रोकने के लिए शासन एवं समय समय पर इस मुख्यालय द्वारा जो दिशा-निर्देश जारी किये गये है उनका उचित ढंग से अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

गैगचार्ट जो थाना प्रभारी द्वारा बनाया जाएगा उस पर क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक की स्पष्ट संस्तुति होगी तथा इसी प्रकार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा भी मात्र हस्ताक्षर बनाकर कार्य की इतिश्री नहीं की जाएगी। उन्हें एक नोट इस आशय का लिखना होगा कि उनका यह समाधान हो गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध जो आपराधिक विवरण अंकित किया गया है, पूर्णरूप से सही है तथा यह अपराध उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप(निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है।

जिन मामलों में उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया-कलाप(निवारण) अधिनियम-1986 के अन्तर्गत एक बार कार्यवाही की जा चुकी है, उसी को पुनः आधार बनाकर कार्यवाही न की जाए।

जिन मामलों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है या न्यायालय द्वारा विचारण के उपरान्त अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है, उन्हें आपराधिक विवरण में गैगचार्ट में सम्मिलित न किया जाए।

इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग की विवेचना अनिवार्यतः दूसरे थाने के प्रभारी द्वारा ही की जानी चाहिए।

आप सभी अवगत है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करना एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस का मुख्य कर्तव्य है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध यदि आपराधिक विवरण सही रूप से नहीं दर्शाए जाते है तथा जमानत प्रार्थनापत्रों का प्रभावीरूप से शपथपत्र के माध्यम से विरोध नही किया जाता है तो अभियुक्तगण मा0 न्यायालय से जमानत प्राप्त कर पुनः अपराध में लिप्त होकर समाज में कानून एवं व्यवस्था को प्रभावित करते है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 एवं समाज विरोधी किया-कलाप(निवारण) अधिनियम-1986 तथा समय-समय पर उ0प्र0शासन एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा जो दिशा-निर्देश एवं मा0 न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय/आदेशों के द्वारा व्यवस्थाएं की जाएं उनका अक्षरशः अनुपालन किया जाए।

आप सभी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि जो भी शासनादेश/परिपत्र भेजा जाए उसके संबंध में अपने अधीनस्थों को अपराध गोष्ठी में विस्तृतरूप से जानकारी दी जाए, जिससे किसी कानून का दुरूपयोग न हो तथा दोषी व्यक्ति दण्डित हो सके।

भविष्य में यदि कोई भी प्रकरण जिसमें उक्त अधिनियम/शासनादेश/परिपत्र द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया गया है या प्रकरण के विश्लेषण से ऐसा स्पष्ट हो कि आप या आपके किसी अधीनस्थ द्वारा जानबूझकर, लापरवाही या त्रुटिपूर्ण आचरण के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति के विरूद्ध उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

उक्त निर्देशों का जनपद स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

18/08/14

(ए0एल0 बनर्जी)
पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0 लखनऊ।